दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 22-07-2025

बिना अनुमति सड़क पर पंडाल, हाई कोर्ट ने कहा- त्योहारों से पहले गाइडलाइन बनाएं

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

त्योहारों के दौरान बिना अनुमति सड़क पर पंडाल, स्वागत द्वार और अन्य आयोजनों को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नीति बनाने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है।

त्योहारों के दौरान अनुमति के बिना सड़क पर ही कई आयोजन होते रहते हैं,कई बार एम्बुलेंस फंसने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसे लेकर रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा था। मुख्य सचिव की ओर से सोमवार को शपथ पत्र देकर बताया गया कि नई गाइडलाइन पर कई विभाग काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ और समय चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि त्योहारी सीजन करीब है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार नीति बनाकर अगली सुनवाई से पहले कोर्ट को अवगत कराएगी। अगली सुनवाई 2 सितंबर 2025 को होगी।

अनुमति लेना जरूरी

हाई कोर्ट ने साफ किया कि जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती, तब तक 22 अप्रैल 2022 को गृह विभाग द्वारा जारी पुरानी गाइडलाइन ही लागू रहेगी। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर कार्रवाई हो सकती है।